झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
वाणिज्यिक अपील सं0 04 वर्ष 2020

मेसर्स एनसीसी लि0 (पहले नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के रूप में ज्ञात), कम्पनीज एक्ट 1956 के अधीन पंजीकृत तथा सम्मिलित एक कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय एनसीसी हाउस, माधापुर, हैदराबाद 500081 में है, अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वी राममूर्ति पुत्र स्व0 बी0एन0 दीकशितुलु, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी फ्लैट सं0 जी0 5, श्री राम सांई अपार्टमेन्ट, एलआईसी कालोनी, डाकखाना तथा थाना सैदाबाद, जिला हैदराबाद, तेलंगाना।

.....दावेदार/उत्तरदाता/अपीलकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य, द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, जलमार्ग प्रखण्ड, चैबासा, जल संसाधन विभाग, चैबासा, डाकखाना तथा थाना चैबासा, जिला सरायकेला, खरसवाँ, चैबासा

..... उत्तरदाता/आवेदक/उत्तरदाता

कोरम: मा0 श्री न्यायमूर्ति श्री चन्द्रशेखर
मा0 श्रीमती न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी

अपीलकर्ता के लिए	:	श्री अजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता
	:	श्री रोहिताश्य राव, अधिवक्ता
	:	श्री विकल्प गुप्ता, अधिवक्ता
	:	श्री विभोर मयंक, अधिवक्ता
उत्तरदाता के लिए	:	श्री सचिन कुमार, एएजी-।।
	:	श्री रवी प्रकाश मिश्रा, एससी से एसजी-।।

---

5 सितम्बर 2023 को सी.ए.वी. **5 दिसम्बर 2023 को सुनाया गया**

द्वारा, अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्ति

इस अपील को माध्यस्थम मामला सं0 07 वर्ष 2019 जिसके द्वारा अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन उत्तरदाता द्वारा दाखिल याचिका को अनुज्ञात किया गया है तथा विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट दिनांक 29 अप्रैल 2014 को इस आधार पर अपास्त किया गया है कि पंचाट स्टाम्प पेपर पर अहस्ताक्षरित था तथा तैयार नहीं था एवं परिणामस्वरूप अवैध तथा वैधानिक तरीके से प्रवर्तनीय नही था में विद्वान जिला जज-।-सह- वाणिज्यिक न्यायालय, पूर्वी सिंह भूम, जमशेदपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23 दिसम्बर 2019 को चुनौती देते हुए वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रखण्ड तथा उच्च न्यायालय अधिनियम 2015 के वाणिज्यिक अपीलीय प्रखण्ड की धारा 13 सपठित मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (एतस्मिन् पश्चात अधिनियम 1996 के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 37 के अधीन दाखिल किया गया है। चूँकि पंचाट का प्रवर्तनीय न होना अभिनिर्धारित किया गया था, विद्वान वाणिज्यिक

न्यायालय ने विद्वान मध्यस्थ द्वारा अनुज्ञात तथा नामंजूर प्रति-दावों के गुणावगुण का उल्लेख करते हुए आधारों की जाँच करने से इंकार किया है।

बुनियादी तथ्य

2. मामले का पृष्ठभ्मि यह है कि उत्तरदाता ने रू0 3088.375 लाख के अनुमानित लागत पर टर्नकी आधार पर सुरू जलाशय परियोजना के रूप में ज्ञात सिंचाई परियोजना के संबंध में निविदा आमंत्रित करते हुए नोटिस जारी किया था। अपीलकर्ता को सफल बोली लगाने वाला घोषित किया गया था तथा परिणामस्वरूप, पक्षकारों ने 10 सितम्बर 2004 को समझौता सं0 एफ 207/2004-05 द्वारा समझौता किया था। कार्य के निष्पादन के मध्य में पक्षकारों के बीच विवाद पैदा हुआ था तथा दावेदार ने इस न्यायालय के समक्ष अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के अधीन याचिका माध्यस्थम आवेदन सं0 46 वर्ष 2007 दाखिल किया था, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज मा0 न्यायमूर्ति एस0बी0 सिन्हा को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में किया गया था। माध्यस्थम कार्यवाही अभिवचनों तथा दस्तावेजों को निवेदित करने तथा दोनों पक्षकारों द्वारा मौखिक साक्षीगण के परीक्षा के बाद समाप्त किया गया था तथा पक्षकारों को सुनने के बाद पंचाट पारित किया गया था।

3. दावा तथा प्रतिदावा के संबंध में पंचाट का सारांश पंचाट के पैरा सं0 336 से 340 में निम्नवत् उल्लिखित किया गया हैः-

दावा सं0	विशिष्टियाँ	धनराशि (रू0)	दिया गया पंचाट
1.	बकाया बिल तथा इसमें ब्याज का भुगतान न किया जाना	3,18,94,411.00	नामंजूर
2.	अग्रिम संग्रहण के विरूद्ध दावेकर्ता द्वारा दिये गये बैंक गारण्टी का अवैध भुनाया जाना	1,98,03,000.00	18% प्रतिवर्ष की दर पर मार्च 2007 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज रू021,00,000/-
3.	बीमा सीएआर पालिसी का दावा	678908ण्00	नामंजूर
4.	मशीनरी के संग्रहण पर उठाया गया खर्च	3,05,03,200.00	3,05,03,200.00
5.	संग्रहित मजदूर के आलस्य के कारण हानि	36,79,200.00	36,79,200.00
6.	आधारभूत संरचना तथा अन्य सुविधाओं के स्थापना के कारण हानि	1,92,35,320.00	1,56,91,068.00
7.	मशीनरी के साथ मजदूर के संग्रहण पर उठाया गया अतिरिक्त खर्च	35,28,525.00	नामंजूर

8.	लाभ की हानि	3,96,04,300.00	38825664ण्70
9.	अवसर की हानि	6,00,00,000.00	नामंजूर
10.	सुनाम की हानि	5,00,000,00.00	नामंजूर
11.	विधिक/माध्यस्थम खर्चे	15,00,000.00 तथा अन्य धनराशि जिसे इस कार्यवाही के दौरान उठाया जायेगा	28,50,000.00 (मध्यस्थ के फीस के लिए) 7,97,102.00 (मध्यस्थ द्वारा उठाये गये खर्च के लिए) 10,32,107.00+ 03-04-2014 से भुगतान के तिथि तक 18% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज (1996 अधिनियम की धारा 38 के अनुसार उत्तरदाता की ओर से मध्यस्थ को संदत्त
	कुल रू0	**25,04,26,864.00**	

4. विद्वान मध्यस्थ ने दावेदार को खर्च भी पंचाट किया है तथा निम्न तरीके से उत्तदाता के प्रतिदावों को नामंजूर किया था।

337. यह अधिकरण महसूस करता है कि उत्तदाता को अनुकरणीय खर्चों दावेदार को रू0 5,00,000/- की धनराशि अदा करना चाहिए।

338. दावा सं0 5 एवं 6 के अन्तर्गत दावा के कुल धनराशि से, रू077,86,353/- की धनराशि की कटौती इस तथ्य के दृष्टिगत की जायेगी कि दावेदार ने पहले ही चालू खाता बिल से उक्त धनराशि प्राप्त किया हैं
उक्त दावा सं0 4, 5 एवं 6 के अन्तर्गत दावेदार को देय सम्पूर्ण धनराशि रू0 4,98,73,468/- होगी।
यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि चालू खाता बिल (ए)(बी)(ई) तथा (एक) संबंध में दावेदार को संदत्त धनराशि 77,86,353/- है न कि रू077,87,353/- जैसा उत्तरदाता सं0 1 द्वारा प्रतिदावों में उल्लेख किया गया है। इसलिए गणना तद्नुसार की गई है।

339. उपरोक्त पंचाट किये गये धनराशि में इस पंचाट की तिथि से 18% प्रतिवर्ष की दर पर वसूली तक ब्याज होगा।
340. उत्तरदाता सं0 1 द्वारा प्रतिदावा को नामंजूर किया जाता है।"

5. विद्वान मध्यस्थ ने पंचाट के पैरा सं0 341 से 345 में कुछ ठोस संप्रेक्षण किया था:-

"341. यह माध्यस्थम कार्यवाही 1996 अधिनियम की धारा 11(6) सपठित धारा 11(8) के अधीन इसमें दावेदार, जिसे पहले मेसर्स नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन लि0 के रूप में जाना जाता है द्वारा दाखिल आवेदन पर माध्यस्थम आवेदन सं0 46 वर्ष 2007 में झारखण्ड

उच्च न्यायालय के मा0 मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 15.09.2009 से उद्भूत होता हैं
इसके अनुसरण में तथा इसको अग्रसर करने में माध्यस्थम अधिकरण ने लगभग 07.11.2009 या को संदर्भ पर विचार किया था।

342. पक्षकारों के अभिवचनों को पूरा किया गया था तथा लगभग 21.04.2010 या को आगे समय दिये जाने हेतु आवेदनों को पक्षकारों द्वारा दाखिल किया गया था तथा 22.05.2010 को विवाद्यकों को विरचित किया गया था।

343. साक्षीगण की परीक्षा 12.03.2011 तक पूरी हो गई थी।

344. स्पष्ट निदेश के बावजूद, उत्तरदाता सं0 1 ने फिर भी, मध्यस्थ के फीस के लिए रू0 1,50,000/- तथा इसके द्वारा उठाये गये खर्च के लिए रू01,00,000/- की धनराशि का भुगतान करने के सिवाय फरवरी 2010 में किसी समय माध्यस्थम अधिकरण के शुल्क या मात्रा, होटल में रूकने के लिए इसके द्वारा उठाये गये खर्चों, कान्फ्रेंस कक्ष हेतु खर्चों तथा अन्य आनुषांगिक खर्चों तथा स्टेनोग्राफर को किये जाने वाले भुगतान को अदा नहीं किया था, जो पूरी तरह माध्यस्थम कार्यवाहियों में शामिल था।

345. समय-समय पर इस अधिकरण द्वारा जारी निदेशों के बावजूद तथा माध्यस्थम अधिकरण द्वारा उठाये गये अन्य खर्चों तथा फीस को जमा करने के लिए उत्तरदाता सं0 1 द्वारा दिये गये वचन के बावजूद उत्तरदाता सं0 1 ने लंबे समय तक ऐसा नहीं किया था।

6. माध्यस्थम पंचाट को उत्तरदाता द्वारा गुणावगुण पर तथा इस आधार पर अधिनियम 1996 की धारा 34 के अन्तर्गत चुनौती दिया गया था कि पंचाट न तो स्टाम्प पेपर पर तैयार किया गया था न ही विद्वान मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षरित था।

7. विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने दोनों पक्षदारों के निवेदनो का लेखवद्व किया था तथा आक्षेपित निर्णय के पैरा 5 में विचारा के निम्न विवाद्यकों को विरचित किया थाः

(i) क्या पंचाट जैसा है विद्वान एकमात्र मध्यस्थ अधिकरण के हस्ताक्षर के बिना वैध तथा वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय है?

(ii) क्या पंचाट आक्षेप के दृष्टिगत अपराध किये जाने योग है?

8. विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन दाखिल आवेदन को अनुज्ञात किया था तथा यह धारित करते हुए पंचाट अपास्त किया था कि पंचाट प्रवर्तनीय नहीं था क्योंकि पंचाट न तो विद्वान मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षरित था न ही स्टाम्प पेपर पर तैयार किया गया था। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने विद्वान मध्यस्थ द्वारा अनुज्ञात दावों तथा विद्वान मध्यस्थ द्वारा नामंजूर प्रति-दावा के सम्बन्ध में उत्तरदाता द्वारा उठाये गये आधारों पर विचार नहीं किया था। आक्षेपित निर्णय के पैरा सं0 9 में, विद्वान

वाणिज्यिक न्यायालय ने यह कहते हुए अधिनियम 1996 की धारा 31 तथा धारा 34 के प्रावधानों को निर्दिष्ट किया है कि माध्यस्थम पंचाट लिखित किया जाना तथा माध्यस्थम अधिकरण के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने पैरा सं0 8, 10 से 12 में अपना निष्कर्ष निम्नवत् लेखबद्ध किया है:-

"8..... अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री पर विचार करने के बाद, मैं पाता हूँ कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में काफी बल है कि पंचाट के अंतिम पेज पर 29.04.2014 के रूप में उल्लेख किया गया है, जबकि उक्त मा0 एकमात्र मध्यस्थ ने उक्त पंचाट के किसी पेज पर यहाँ तक कि अंतिम पेज पर भी अपना हस्ताक्षर नहीं किया था। इसे अधिनियम की धारा 31(1) के अनुसरण में माध्यस्थम पंचाट नही कहा जा सकता है। इसके अलावा, उक्त पंचाट को अपेक्षित स्टाम्प पेपर पर प्रकाशित नही किया गया है। उक्त पंचाट के प्रति को उक्त पंचाट में नामित किसी उत्तरदाता को जारी नही किया गयाहै। वास्तव में, उक्त पंचाट पर हस्ताक्षर के अभाव में इसे पारित नही कहा जा सकता है तथा इस प्रकार का पंचाट अपेक्षित स्टाम्प पर पारित नही किया जा सकता है।

9. .....

10. अब याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गये आक्षेपित पंचाट को चुनौती देने के पहले आधार पर आते हैं, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 31 की उपधारा (1) माध्यस्थम पंचाट के लिखित किये जाने तथा माध्यस्थम अधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने की अपेक्षा करता है। धारा 31 की उपधारा (2) उपबंध करता है कि उपधारा (1) के प्रयोजन हेतु माध्यस्थम अधिकरण के सदस्यों के बहुमत का हस्ताक्षर पर्याप्त होगा जब तक न किये गये हस्ताक्षर हेतु कोई कारण नहीं बताया जाता है। उपधारा (1) अपेक्षा करता है कि माध्यस्थम पंचाट लिखित होना चाहिए तथा माध्यस्थम अधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अब अधिनियम यह उपबंध करते हुए संदेह के परे मामले को रखता है कि वैध पंचाट हेतु विधि में क्या आवश्यक है। मध्यस्थ के हस्ताक्षर के लोप हेतु कारणों को बताया जाना चाहिए। बिल्कुल यही वर्तमान मामले में हुआ है। मा0 मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट में हस्तक्षेप माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34(2क) में उल्लिखित आधारों पर किया जा सकता है जो निम्नवत् हैः- **2(2क) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम के अलावा माध्यस्थमों से उद्भूत माध्यस्थम पंचाट को न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है, यदि न्यायालय पाता है कि पंचाट को देखते ही स्पष्ट अवैधता द्वारा संदूषित है।**

11. यदि कोई वर्तमान मामले में आक्षेपित पंचाट को ध्यान में रखता है, पहले स्थान पर यह परिलक्षित होता है कि विद्वान मध्यस्थ का हस्ताक्षर आक्षेपित पंचाट दिनांक 29.04.2014 पर उपलब्ध नहीं है। विद्वान एकमात्र मध्यस्थ के हस्ताक्षर का अभाव सिर्फ किसी प्रशासनिक अव्यावश्यकता या लिपिकीय त्रुटि या कठिनाई या इसके विसम्मत विचार लेने पर आरोपित नही किया जा सकता है। यह उलटे पंचाट के जड़ तक जाता है तथा इसके वैधता से कमजोर करता है। लेकिन यह कि, मेरे विचार में मामले को कोई आगे नही ले जाता है क्योंकि यह विचार किया जाना है कि क्या पंचाट जैसा है एक मात्र मध्यस्थ के हस्ताक्षर के बिना वैध है। पंचाट में या संसूचना में जैसा ऊपर उल्लिखित है पूर्णतया ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि मामला आदेश/पंचाट हेतु बंद किये जाने के बाद, विद्वान मध्यस्थ ने आरोपित पंचाट पर अपना हस्ताक्षर नही किया है। निःसन्देह, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के स्कीम के अन्तर्गत, अधिनियम के अर्थान्तरगत पंचाट वास्तव में इस पर हस्ताक्षर करने के बाद पंचाट है।

इस आधार पर, आक्षेपित पंचाट को विधि की दृष्टि में वैध पंचाट के रूप में नही कहा जा सकता है तथा यह वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय नही है।

12. अतः **विवाद्यक सं0 1** क्या पंचाट जैसा है विद्वान एक मात्र मध्यस्थ अधिकरण के हस्ताक्षर के बिना वैध तथा वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय है? का विनिश्चय आवेदक/उत्तरदाता के पक्ष में तथा उत्तदाता/दावेदार के विरूद्ध किया जाता है। इस प्रकार विवाद्यक सं0 II ''क्या पंचाट आक्षेप के दृष्टिगत अपास्त किये जाने योग्य है? **स्वीकारात्मक है।** यह न्यायालय पाता है कि आक्षेपित पंचाट वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय नही है, तब मेरी राय में, विस्तार में जाने तथा आवेदक/उत्तरदाता द्वारा उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों में माध्यस्थम अधिकरण का आक्षेपित पंचाट टिकाऊ नही हो सकता है। भारत के मा0 उच्चतम न्यायालय विद्वान एकमात्र मध्यस्थ मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस0बी0 सिन्हा द्वारा पारित माध्यस्थम पंचाट दिनांक 29.04.2014 को अपास्त करने के लिए माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन माध्यस्थम याचिका को तद्नुसार अनुज्ञात किया जाता है तथा भारत के मा0 उच्चतम न्यायालय के विद्वान एकमात्र मध्यस्थ मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस0बी0 सिन्हा द्वारा पारित आक्षेपित पंचाट दिनांक 29.04.2014 को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। मामले के परिस्थितियों में, खर्चों के संबंध में कोई आदेश नही होगा। कार्यवाही के मूल अभिलेख को विद्वान एकमात्र मध्यस्थ के कार्यालय को वापस किया जाय।

9. दावेदार इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी है। दोनों पक्षकारों को सुना गया तथा स्वयं द्वारा भरोसा किये गये निर्णयों के प्रतियों के साथ इस न्यायालय के समक्ष अपने लिखित निवेदनों को दाखिल किया है।

10. अपीलार्थी ने निम्न निर्णयों पर भरोसा किया हैः-

(i) अनसूया देवी तथा एक अन्य बनाम एम. मानिक रेड्डी तथा अन्य (2003) 8 एससीसी 565

(ii) पश्चिम बंगाल राज्य बनाम श्री श्री माँ इंजीनियरिंग तथा एक अन्य (1987) 4 एससीसी 452

(iii) मामला सं0 माध्यस्थम अपील सं0 15 वर्ष 2022 से संबंधित 21.09.2022 से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित भारत संघ बनाम भोला प्रसाद अग्रवाल तथा एक अन्य

(iv) ''मेसर्स चंडोक मशीनरीज बनाम मेसर्स एस0एन0 सुदर्शन एण्ड कं0'' 2018 एससीसी आनलाइन दिल्ली 11000

(v) ''उमाशंकर गोयंका, एच.यू.एफ. एवं अन्य बनाम आर सरोगी एण्ड कम्पनी तथा एक अन्य 1996 एससीसी आनलाइन कलकत्ता 16

(vi) ''पार्श्वनाथ डिवलपर्स लि0 बनाम वाइज कैन इंजीनियरिंग प्रा0लि0 तथा एक अन्य'' 2021 एससीसी आनलाइन पंजाब एवं हरियाणा 4608

11. उत्तरदाता ने निम्न निर्णयों को निर्दिष्ट किया है:-

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम आर0एस0 शर्मा एण्ड कम्पनी (2008) 13 एससीसी 80

(ii) बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी बनाम एनएचपीसी लिमिटेड (2020) 4 एससीसी 234

(iii) इमके ग्लोबल फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम गिरधर सोंधी (2018) 9 एससीसी 49

(iv) पटेल इंजीनियरिंग लि0 बनाम नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि0 (2020) 7 एससीसी 167

(v) संगयोंग इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी लि0 बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एचएचएआई) (2019) 15 एससीसी 131

इस न्यायालय का निष्कर्ष

12. सम्पूर्ण मामला उत्तरदाता के अधिवक्ता को पंचाट के ईमेल संसूचना के आसपास चक्कर लगाता है। पंचाट जैसा ईमेल के द्वारा संसूचित किया गया था हस्ताक्षरित नही था तथा स्टैम्प पेपर पर तैयार नहीं किया गया था। उत्तरदाता का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि इन्हें कभी भी विद्वान मध्यस्थ द्वारा पंचाट की प्रति तामील नही कराई गई थी। इस न्यायालय के समक्ष दाखिल लिखित निवेदनों में, उत्तरदाता द्वारा आधार लिया गया है कि पंचाट जिसे कथित तौर पर विभाग के सचिव को भेजा गया है न तो तामील किया गया था न ही तामील कराया जा सकता था क्योंकि इसे गलत पते पर भेजा गया था।

13. दूसरी तरफ अपीलकर्ता का विनिर्दिष्ट मामला है कि स्टाम्प पेपर पर तैयार हस्ताक्षरित पंचाट सम्यक् तामील कराया गया था तथा स्टाम्प पेपर पर तैयार एवं अंतिम पेज पर विद्वान मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षरित पंचाट की प्रति जिसमें पंचाट की तिथि अन्तर्विष्ट थी को सहपत्र के साथ अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था। सह पत्र तथा पंचाट जैसा अपीलकर्ता को संसूचित किया गया था अपील के ज्ञापन के साथ इस न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है।

14. यद्यपि पंचाट के प्राप्त किये गये प्रति को अपीलार्थी द्वारा विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं किया गया था, लेकिन प्रति शपथपत्र यह उल्लेख करते हुए दाखिल किया गया था कि पंचाट स्टैम्प पेपर पर तैयार किया गया था तथा अंतिम पेज पर विद्वान मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता ने यह प्रमाणित करने के लिए कतिपय दस्तावेजों को दाखिल किया है कि पंचाट उत्तरदाता विभाग के सचिव को सम्यक् तामील कराया गया था तथा यह कि पंचाट जैसा अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था अपीलकर्ता द्वारा निष्पादन करने वाले न्यायालय के समक्ष तथा एल.पी.ए. सं. 432 वर्ष 2011 में इस न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था। निष्पादन न्यायालय तथा एलपीए के अभिलेखों को प्राप्त किया गया है तथा इस मामले के अभिलेखों के साथ रखा गया है।

15. वर्तमान मामले में अर्न्तवलित विवाद के प्रयोजन हेतु सुसंगत प्रावधान अधिनियम 1996 की धारा 2 (एच), धारा 31 से 34 है। विधि का यह प्रावधान मा0 उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में विचार की विषयवस्तु रहा है।

16. ***''भारत संघ बनाम टेक्को त्रिची इंजीनियर्स एण्ड कान्ट्रैक्टर्स''*** (2005) 4 एससीसी 239'' में संप्रकाशित मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में, प्रश्न जो विचारार्थ पैदा हुआ था यह था कि प्रभावी तिथि क्या होगी जिस पर माध्यस्थम पंचाट को पक्षकार को दिया गया कहा जा सकता है क्योंकि यह वह तिथि होगी जहाँ से अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के अर्थान्तरगत परिसीमा की गणना की जायेगी।

17. पूर्वोक्त प्रावधानों को पूर्वोक्त निर्णय में विश्लेषित किया गया है तथा अन्य बातों के साथ निर्णय के पैरा 6 तथा 8 में यह निम्नवत् अभिनिर्धारित किया गया है:-

> ''6. माध्यस्थम पंचाट का प्रपत्र तथा अर्न्तवस्तु अधिनियम की धारा 31 द्वारा उपबंधित है। अधिनियम की धारा 31 द्वारा विहित रीति में तैयार माध्यस्थम पंचाट हस्ताक्षरित तथा दिनांकित होना चाहिए। उपधारा (5) के अनुसार, माध्यस्थम पंचाट किये जाने के बाद हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पक्षकार को दिया जायेगा। शब्द ''पक्षकार'' अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (एच) द्वारा ''माध्यस्थम समझौते'' के पक्षकार के अर्थ के रूप में परिभाषित है। परिभाषा को दिये गये के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो। धारा 34 के उपधारा (3) के अधीन 3 माह की परिसीमा उस तिथि से आरंभ होती है जिस तिथि को ''इस आवेदन को करने वाले पक्षकार'' ने माध्यस्थम पंचाट प्राप्त किया था। हमें यह देखना है कि राज्य या सरकार के विभाग, इसके अलावा रेलवे जैसे बड़े संगठन के संदर्भ में पंचाट अपास्त करने के लिए शब्द ''पक्षकार'' तथा ''आवेदन करने वाला पक्षकार'' को कौन सा अर्थ नियत किया जाना चाहिए।
>
> 8. धारा 31 की उपधारा (5) के अधीन माध्यस्थ पंचाट का दिया जाना मात्र औपचारिकता का मामला नहीं है। यह वास्तविकता का मामला है। यह केवल धारा 31 के अधीन प्रक्रम पार होने के बाद कि अधिनियम की धारा 32 के अर्थान्तरगत माध्यस्थम कार्यवाहियों के समाप्ति का प्रक्रम उत्पन्न होता है। पक्षकार को माध्यस्थम पंचाट का दिया जाना तब प्रभावी होगा जब पक्षकार द्वारा प्राप्त किया जाना हो। माध्यस्थम अधिकरण द्वारा इसका दिया जाना तथा पंचाट के पक्षकार द्वारा प्राप्त किया जाना कई परिसीमा की अवधि जैसे सुधार हेतु आवेदन तथा धारा 33(1) के अधीन 30 दिनों के अन्दर पंचाट का निवर्चन, धारा 33(4) के अधीन अतिरिक्त पंचाट करने के लिए आवेदन तथा धारा 34(3) इत्यादि के अधीन पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन गतिशील होता है। चूँकि पंचाट के प्रति का इस प्रकार दिये जाने में पक्षकार को कतिपय अधिकारों को देने तथा परिसीमा की विहित अवधि जिसकी गणना इस तिथि से की जायेगी के समाप्त होने पर इन अधिकारों के प्रयोग के अधिकार की समाप्ति का प्रभाव होता है, अधिकरण द्वारा पंचाट के प्रति का दिया जाना तथा प्रत्येक पक्षकार द्वारा

इसका प्राप्त किया जाना माध्यस्थम कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण प्रक्रम गठित करता है।

(बल दिया गया)

18. ***(2011) 4 एससीसी 616 में संप्रकाशित महाराष्ट्र राज्य बनाम एआरके बिल्डर्स (प्रा0)*** लि0 के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विवाद्यक यह था कि क्या अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन आवेदन हेतु परिसीमा के अवधि की गणना किसी साधन द्वारा तथा किसी स्रोत से आक्षेपकर्ता द्वारा पंचाट की प्रति प्राप्त किये जाने की तिथि से की जानी चाहिए, या उस तिथि से चलना आरम्भ होगा जिस तिथि से पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति मध्यस्थ द्वारा इसे दी गई है। और बहुमूल्य निम्न विरचित विवाद्यक थाः-

> ''क्या माध्यस्थम पंचाट अपास्त करने के लिए माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 (एतस्मिन्पश्चात अधिनियम) की धारा 34 के अधीन आवेदन करने हेतु परिसीमा अवधि की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए जिस विधि से पंचाट की प्रति किसी साधन द्वारा तथा किसी स्रोत से आक्षेपकर्ता द्वारा प्राप्त की जाती है या यह उस तिथि से चलना आरम्भ होगा जब पंचाट के हस्ताक्षरित प्रति को इसे मध्यस्थ द्वारा दी जाती है।''

19. मा0 उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभिव्यक्ति ''इसे करने वाले पक्षकार आवेदक ने माध्यस्थम पंचाट प्राप्त किया था'' को अलग से नही पढ़ा जा सकता है तथा इसे अधिनियम 1996 की धारा 31(5) के आलोक में समझा जाना चाहिए जो प्रत्येक पक्षकार को दिये जाने वाले पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति की अपेक्षा करता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि धारा 34(3) के अधीन विहित परिसीमा मात्र उस तिथि से आरम्भ होगी जिस तिथि को पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति इसे अपास्त करने के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार को दी जाती है। पैरा 15, 17 तथा 18 में ***<u>भारत संघ बनाम टेक्को त्रिची इंजीनियर्स एण्ड कान्ट्रैक्टर्स</u> (ऊपर)*** के निर्णय का अनुसरण करने के बाद, यह निम्नवत् अभिनिर्धारित किया गया है।

> ''15. ऊपर उद्धृत निर्णय का विशेष हिस्सा संदेह के लिए कोई गुंजाइस नही छोड़ता है कि अधिनियम की धारा 34(3) के अधीन विहित परिसीमा की अवधि केवल उस तिथि से आरम्भ होगी जिस तिथि को अधिनियम की धारा 34(1) के अधीन इसे अपास्त करने के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार द्वारा दी जाती है। प्राप्त की जाती है। इस विवाद्यक पर विधिक दृष्टिकोण को इस प्रकार कहा जा सकता है। यदि विधि विहित करता है कि आदेश/पंचाट की प्रति विशेष तरीके से संबंधित पक्षकारों को संसूचित, परिदत्त, प्रेषित, अग्रेषित, दी या भेजी जानी चाहिए तथा यदि विधि व्यथित पक्षकार द्वारा प्रश्नगत आदेश/पंचाट को चुनौती देने के लिए परिसीमा की अवधि निर्धारित करता है, तब परिसीमा की अवधि केवल उस तिथि से आरम्भ हो सकता है जिस तिथि को आदेश/पंचाट विधि द्वारा विहित रीति में संबंधित पक्षकार द्वारा प्राप्त की गई थी।

17. उपरोक्त किये गये विवेचनाओं के आलोक में हम बम्बई उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को असंधार्य पाते हैं। उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से टेक्को त्रिची इंजीनियर्स एण्ड कान्टे²क्टर्स में इस न्यायालय के निर्णय का सही-सही अनुसरण न करने तथा प्रतिकूल विचार लेने में त्रुटि किया था। उच्च न्यायालय ने यह अनदेखी किया था कि जो धारा 31(5) अनुध्यात करता है मात्र पंचाट के किसी प्रकार के प्रति बल्कि उस पंचाट के प्रति को देना नही है जो माध्यस्थम अधिकरण के सदस्यों द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित है।

18. मामले के तथ्यों में अपीलकर्तागण उत्तरदाता दावेदार द्वारा स्वयं को पंचाट की प्रति दिये जाने के साथ पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति स्वयं को देने के मध्यस्थ के लोप के कारण अनुचित लाभ प्राप्त करना प्रतीत होता है लेकिन यह विधिक दृष्टिकोण को नही बदलेगा तथा विधि को विशेष मामले के तथ्यों के अनुसार अनुकूल बनाना गलत होगा।''

20. ***ए0आर0के0 बिल्डर्स (प्रा0) लि0 (ऊपर)*** में, माध्यस्थम के खर्च का भुगतान न किये जाने के कारण पूर्णतया अपीलकर्ता को तामील नही कराया गया था तथा इसकी प्रति दावेदार द्वारा तामील कराई गई थी, जिसके बाद अपीलकर्ता हस्ताक्षरित प्रति के लिए विद्वान मध्यस्थ के पास आया था जिसे अंततोगत्वा अपीलकर्ता को दिया गया था तथा यह दावा किया गया था कि परिसीमा उस तिथि से आरम्भ होगी जिस तिथि को मध्यस्थ ने हस्ताक्षरित पंचाट अपीलकर्ता को दिया था। उक्त मामले में पंचाट के हस्ताक्षरित प्रति को मध्यस्थ से मांगा गया था जिसे केवल 19 जनवरी 2004 को तामील कराया गया था तथा परिसीमा के अवधि की गणना करने के लिए आरम्भिक बिन्दु से होना माना गया था।

21. इसी प्रकार ***(2012) 9 एससीसी 496 ''बनारसी कृष्णा कमेटी तथा अन्य बनाम कर्मयोगी सेल्टर प्राइवेट लिमिटेड''*** में संप्रकाशित निर्णय में परिसीमा के आरम्भिक बिन्दु को वह तिथि माना गया था जब पंचाट को चुनौती देने वाले पक्षकार ने विद्वान मध्यस्थ से प्रति प्राप्त किया गया था तथा उस तिथि से नही जब इसे इनके अधिवक्ता को तामील कराया गया था।

उक्त निर्णय के पैरा सं0 15, 16 तथा 17 को निम्नवत् उत्कथित किया जाता है:-

''15. अपने-अपने पक्षकारों की ओर से पेश निवेदनों को ध्यान में रखते हुए तथा अभिव्यक्ति ''पक्षकार'' को विशेष ध्यान में रखते हुए जैसा 1996 अधिनियम की धारा 2(1) (एच) सपठित 1996 अधिनियम की धारा 31(5) तथा 34(3) के प्रावधानों के परिभाषित है, हम इन कार्यवाहियों में आक्षेपित दिल्ली उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए प्रवृत्त नही है। अभिव्यक्ति ''पक्षकार'' पर पर्याप्त तरीके से विचार एतस्मिन् उपरोक्त निर्दिष्ट टेक्को त्रिची इंजीनियर्स मामला में तथा एआरके बिल्डर्स (प्रा0) लि0 मामले में किया गया है। अधिवक्ता द्वारा कार्यवाही में पक्षकार की ओर से कार्य करना तथा अभिवचन करना एक बात है तथा अधिवक्ता द्वारा स्वयं पक्षकार के रूप में कार्य करना दूसरी बात है। अभिव्यक्ति ''पक्षकार'' जैसा 1996 अधिनियम की धारा 2(1) (एच) में परिभाषित है स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति की ओर

संकेत करता है जो माध्यस्थम समझौते का पक्षकार है। **उक्त परिभाषा किसी प्रकार सीमित नही है जिससे पक्षकार के अभिकर्ता को इस प्रकार के समझोते में शामिल किया जा सके। इसलिए 1996 अधिनियम की धारा 31(5) तथा धारा 34(2) के किये गये किसी संदर्भ का मतलब स्वयं पक्षकार हो सकता है तथा वकालतनामा के आधार पर कार्य करने के लिए सशक्त इसका अभिकर्ता या अधिवक्ता नही। इस प्रकार की परिस्थितियों में, धारा 31(5) के समुचित अनुपालन का मतलब स्वयं पक्षकार को माध्यस्थम पंचाट के हस्ताक्षरित प्रति का देना होगा न कि इसके अधिवक्ता को, जो संबंधित पक्षकार को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 34(3) के अधीन अग्रसर होने का अधिकार देता है।**

16. *पुष्पादेवी भगत* मामले में लिया गया विचार स्वयं कार्यवाहियों में कार्यवाही के पक्षकार की ओर से कार्य करने के लिए अधिवक्ता को दिये गये प्राधिकार के संबंध में है, जो यथेष्ट नही हो सकता है जहाँ प्रावधान जैसे 1996 अधिनियम की धारा 31(5) का संबंध है। उक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि पंचाट के हस्ताक्षरित प्रति को पक्षकार को दिया जाना चाहिए। तद्नुसार जब हस्ताक्षरित पंचाट के प्रति को स्वयं पक्षकार को नही दिया जाता है, यह अधिनियम की धारा 31(5) के प्रावधानों के उल्लंघन के तुल्य होगा। ''नील कंठ सिद्रामप्पा निगासेट्टी मामले में श्री रंजीत कुमार द्वारा प्रोद्धृत अन्य निर्णय को माध्यस्थम अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाया गया था, जिसमें 1996 अधिनियम के समान प्रावधान नही था। इसलिए, उक्त निर्णय इस मामले के तथ्यों के संबंध में लागू नही होगा।

17. वर्तमान मामले में, चूँकि पंचाट के हस्ताक्षरित प्रति को स्वयं पक्षकार को नही दिया गया था तथा पक्षकार ने इसे 15.012.2004 को प्राप्त किया था तथा अधिनियम की धारा 34 के अधीन याचिका 03.02.2005 को दाखिल की गई थी, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उक्त याचिका को तीन माह के निर्धारित अवधि में दाखिल किया गया था जैसा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 34(3) के अन्तर्गत अनुध्यात है। परिणामस्वरूप, इसमें याचिकाकर्ता की ओर से लिया गया आक्षेप टिक नही सकता है तथा मेरी राय में, दिल्ली उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा ठीक ही नामंजूर किया गया था।

(बल दिया गया)

22. ***बनारसी कृष्णा कमेटी (ऊपर)*** के मामले में निर्णय में अधिनियम 1996 की धारा 2(1) (एच), 31(5) तथा 34(3) के प्रावधानों का निवर्चन किया गया है तथा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि माध्यस्थम कार्यवाहियों के पक्षकार में इनका अभिकर्ता या अधिवक्ता शामिल नही होता है जिसने माध्यस्थम कार्यवाहियों में पक्षकार का प्रतिनिधित्व किया था। फिर भी, उक्त मामले में, पंचाट पारित करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद पक्षकार ने मध्यस्थ से पंचाट प्राप्त किया था तथा तत्पश्चात सीधे विद्वान मध्यस्थ से पंचाट प्राप्त करने से याचिका दाखिल करने हेतु परिसीमा अवधि की गणना करते हुए अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन याचिका दाखिल किया था।

23. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन दाखिल आवेदन के पैरा 1 में उत्तरदाता ने कहा था कि **माध्यस्थम पंचाट दिनांक 29 अप्रैल 2014** ईमेल द्वारा अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिन्हा के कार्यालय को भेजा गया था जो उपस्थित हुआ था तथा माध्यस्थम कार्यवाही में उत्तरदाता का प्रतिनिधित्व किया था।

24. अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन आवेदन का पैरा 12 निम्नवत् पठित हैः-

> "पंचाट के परिशीलन से जिसमें अंतिम पेज पर तिथि 29.04.2014 के रूप में उल्लिखित है, जबकि उक्त मा0 एक मात्र मध्यस्थ ने उक्त पंचाट के किसी पेज पर यहाँ तक अंतिम पेज पर भी अपना हस्ताक्षर नही किया है। इसके अलावा, उक्त पंचाट अपेक्षित स्टैम्प पेपर पर प्रकाशित नही किया गया है।"

25. तत्पश्चात्, अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन दाखिल याचिका में, उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के दावा को अनुज्ञात करने के संबंध में पैरा 12 के उप पैरा क(i) से (xii) में माध्यस्थम पंचाट को चुनौती देने के कई आधारों तथा उत्तरदाता के प्रतिदावा को नामंजूर करने के विरूद्ध पैरा 12 के उपपैरा बी(i) से (iv) के आधारों को उठाया था। अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन दाखिल याचिका के पैरा 12 के उप पैरा क(iv) में पंचाट के विद्वान मध्यस्थ के हस्ताक्षर के बिना होने के तथ्य को दोहराया गया है। अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन आवेदन के पैरा 18 में, उत्तरदाता ने कहा था कि यद्यपि अभिकथित पंचाट दिनांक 29 अप्रैल 2014 का है, अधिनियम 1996 की धारा 31(5) के अनुसरण में इस प्रकार के अभिकथित पंचाट के दिये जाने के अभाव में, पंचाट को दिये गये के रूप में नही माना जायेगा। यह कहा गया है कि अधिनियम 1996 की धारा 31(1) के अनुसार अहस्ताक्षरित पंचाट को माध्यस्थम पंचाट नही कहा जा सकता हैं। यह कहा गया कि अभिकथित माध्यस्थम पंचाट को उत्तरदाता के अधिवक्ता द्वारा केवल 9 मई 2014 को देखा गया था तथा 19 मई 2014 को विशेष संदेश वाहक द्वारा उत्तरदाता को अग्रेषित किया गया था। यह भी कहा गया कि अभिकथित पंचाट अधिनियम 1996 की धारा 31(1)(5) के अनुसरण में तथा 31(4) के अधीन माध्यस्थम पंचाट नही है क्योंकि इसे दिल्ली में पारित किया गया है जबकि इस प्रकार के कार्यवाही का स्थान अधिनियम 1996 की धारा 20 के अधीन रांची निर्धारित था।

26. अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन दाखिल याचिका के अंत में, उत्तरदाता ने निम्नवत् कहा हैः-

> "21. यह कि तथ्यों तथा परिस्थितियों में जैसा ऊपर कहा गया है यद्यपि अभिकथित पंचाट, जिसकी प्रति इसके साथ संलग्न की गई है तथा इस याचिका का भाग रूप है, माध्यस्थम पंचाट नही है जैसा ऊपर कहा गया है। फिर भी आवेदक न्यायहित में, यदि

आवश्यक हो, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अनुपूरक याचिका दाखिल करते हुए किसी अतिरिक्त बिन्दुको दाखिल करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है तथा यह प्रमाणित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है कि कैसे अभिकथित पंचाट अपास्त किये जाने योग्य है। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि यह विद्वान न्यायालय कृपा करके इस याचिका को स्वीकार करे तथा नोटिस जारी करे एवं पक्षकारों को सुनने के बाद कृपा करके प्रश्नगत अभिकथित पंचाट अपास्त करे।

27. अपीलकर्ता द्वारा विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष प्रति शपथपत्र दाखिल किया गया था जिसमें अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन याचिका के पैरा सं0 12 में किये गये कथन का विशेष रूप से पूर्णतया खण्डन किया गया था। यह उल्लेख किया गया था कि यह कहना गलत है कि पंचाट समुचित रूप से स्टांपित नही था। यह भी खण्डन किया गया कि पंचाट के प्रति को पक्षकारों को नही दिया गया था। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दाखिल प्रति शपथपत्र के पैरा 12(1) के वर्तमान मामले के सुसंगत भाग को निम्नवत् उत्कथित किया जाता हैः-

> ''12.....
>
> 1) याचिका के पैरा 12 के संबंध में, यह निवेदन किया गया है कि इस तथ्य का प्रकथन कि विद्वान मध्यस्थ ने अंतिम पेज के सिवाय पंचाट के किसी पेज पर अपना हस्ताक्षर नही किया है धारा 34 के अधीन पंचाट अपास्त करने के लिए कोई आधार नहीं बनता है। यह कहना गलत है कि पंचाट समुचित तरीके से स्टांपित नही था। यह खण्डन किया गया है कि पंचाट की प्रति पक्षकारों को नही दी गई थी। प्रकथन कि पंचाट इसमें याचिकाकर्ता के विरूद्ध पक्षपातपूर्ण विचार पर आधारित है अयुक्तियुक्त तथा असंधार्य है। प्रकथन कि मध्यस्थ ने पंचाट करते हुए अपने मस्तिष्क का प्रयोग नही किया है गलत है तथा याचिकाकर्ता इसे साबित करने के लिए बाध्य है। पैरा 12 तथा उप पैराओं में किये गये कथनों का पूर्णतया खण्डन किया गया है।
>
> (i) ----
>
> (ii) -----
>
> (vi) आगे यह निवेदन किया गया है कि सभी अन्य प्रकथनों का खण्डन पूर्णतया उत्तरदाता द्वारा किया गया है तथा याचिकाकर्ता पर याचिका में किये गये सभी प्रकथनों के कठोर सबूत का दबाव डाला गया है क्योंकि इसे साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर है।''

28. विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता द्वारा दाखिल अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन याचिका के परिशीलन के बाद, यह न्यायालय पाता है कि याचिका दाखिल करने हेतु वाद हेतुक अहस्ताक्षरित पंचाट के प्रति को प्राप्त करना, लेकिन किसी स्टाम्प पेपर पर तैयार नहीं, उत्तरदाता के संबंधित अधिवक्ता द्वारा ईमेल के जरिए जैसा विद्वान मध्यस्थ द्वारा उत्तरदाता को अधिवक्ता द्वारा अग्रेषित किया गया था, बताया गया है। पंचाट पारित करने के बारे में जानकारी होने के बावजूद, उत्तरदाता ने उत्तरदाता पंचाट को न प्राप्त करने हेतु या

विद्वान मध्यस्थ से सीधे पंचाट की प्रति प्राप्त करने के कारण के बारे में पता लगाने के लिए विद्वान मध्यस्थ के पास जाने का कोई प्रयास नही किया था।

29. अवर न्यायालयों के अभिलेखों के परिशीलन के वाद, यह न्यायालय पाता है कि यद्यपि उत्तरदाता ने बताया था कि पंचाट ईमेल के जरिए उत्तरदाता के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त किया गया था लेकिन कोई सामग्री अर्थात, ईमेल संसूचना का स्क्रीनशाट या उत्तरदाता के अधिवक्ता का सहपत्र जिसने ईमेल प्राप्त किया था या उत्तरदाता की निर्णय निर्माण प्रक्रिया नहीं है जिससे यह संकेत मिल सका हो कि कैसे तथा कब पंचाट की ईमेल प्रति को प्राप्त किया गया था।

30. पंचाट का प्राप्त किया जाना महत्वपूर्ण विषय है जो धारा 34 के अधीन पंचाट अपास्त करने के लिए तथा पंचाट के संशोधन की मांग करने के लिए जैसा अधिनियम 1996 की धारा 33 के अधीन अनुज्ञेय हैं आवेदन दाखिल करने सहित माध्यस्थम के मामले में कई चरणों में वाद हेतुक को उद्भूत करता है। पंचाट प्राप्त करने का भी अधिनियम 1996 की धारा 36 के अधीन पंचाट के प्रवर्तन हेतु आवेदन दाखिल करने के वाद हेतुक से संबंध है। सभी पूर्वोक्त चरणों हेतु माध्यस्थम कार्यवाहियों के पक्षकार द्वारा पंचाट का प्राप्त किया जाना पुरोभाव्य शर्त है। पंचाट प्राप्त करने के अभाव में, पूर्वोक्त कोई कदम उठाने के लिए वाद हेतुक पैदा नही होता है।

31. वर्तमान मामले में, उत्तरदाता ने सिर्फ पंचाट की प्रति इसे पंचाट के ईमेल की प्रति बताते हुए पेश किया था जैसा इनके अधिवक्ता द्वारा प्राप्त किया गया था तथा धारा 34 के अधीन याचिका दाखिल करते हुए इसका अभिखंडन करने की मांग की गई थी। साथ-साथ, उत्तरदाता ने धारा 34 के अधीन याचिका के पैरा सं0 12(iv) में आधार लिया था कि पंचाट पारित नहीं किया गया था तथा यह कि पंचाट अहस्ताक्षरित था तथा स्टैम्प पेपर पर तैयार नहीं था तथा यह कि पंचाट उत्तरदाता को तामील नही कराया गया था।

32. अभिलेखों के परिशीलन से, यह स्पष्ट है कि 17 नवम्बर 2014 को, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के रजिस्ट्री ने आक्षेप उठाया था कि अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन दाखिल मामला पोषणीय नही था क्योंकि याचिका को 3½ माह के विलम्ब से दाखिल किया गया था। फिर भी, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अलग याचिका उत्तरदाता द्वारा विलम्ब के माफी हेतु एकमात्र आधार लेते हुए दाखिल किया गया था कि विलम्ब पंचाट को चुनौती देने के लिए ऐन वक्त पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को प्राप्त न किये जाने के कारण था। विलम्ब को माफ दिया गया था, मामले को स्वीकार किया गया था तथा विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय

द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2014 द्वारा अपीलकर्ता को नोटिस जारी किया गया था। फिर भी, अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन याचिका दाखिल करने में विलम्ब के माफी के आदेश को वर्तमान अपील के ज्ञापन में चुनौती नही दिया गया है यद्यपि अपीलार्थी ने लिखित निवेदन में विलम्ब के माफी के संबंध में आक्षेप उठाया है। चूँकि आदेश दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को अपील के ज्ञापन में चुनौती नही दिया गया है, यह न्यायालय इस प्रकार के आदेश के वैधता की जांच करने के लिए प्रवृत्त नही है।

33. यह न्यायालय पाता है कि एक तरफ, उत्तरदाता ने अपने कार्यालय में इस प्रकार के पंचाट को प्राप्त करने की तिथि अर्थात 19.05.2014 से परिसीमा की गणना करते हुए पंचाट अपास्त करने के लिए याचिका दाखिल किया था जैसा इनके अधिवक्ता द्वारा प्राप्त किया गया था तथा दूसरी तरफ आधार लिया गया था कि चुनौती दिये जाने के लिए ईप्सित पंचाट अधिनियम 1996 की धारा 31(1) तथा (5) के अनुसार माध्यस्थम पंचाट नही था।

34. स्टाम्प पेपर जैसा अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न है, पर तैयार हस्ताक्षरित पंचाट संलग्न करने वाले विद्वान मध्यस्थ के सहपत्र के परिशीलन से, यह स्पष्ट है कि पंचाट अपीलकर्ता के कम्पनी सेक्रेटरी तथा सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को अग्रेषित किया गया था। पंचाट से लगता है कि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार का सचिव विद्वान मध्यस्थ के समक्ष उत्तरदाता सं0 1 था तथा अन्य उत्तरदातागण निश्चित रूप से उत्तरदाता सं0 1 के अधीन थे। जहाँ तक पक्षकारों के संबंधित अधिवक्ताओं का संबंध है, पंचाट की प्रति इन्हें ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जो स्पष्ट रूप से सूचना के लिए थी कि पंचाट पारित किया गया है।

35. उत्तरदाता के मामले के अनुसार, यह इनके अधिवक्ता द्वारा प्राप्त ईमेल प्रति थी जिसका उपयोग विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष पंचाट को चुनौती देने के लिए किया गया था। लेकिन पंचाट पारित करने के संबंध में सूचना प्राप्त करने के बाद उत्तरदाता द्वारा पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने या कम से कम विद्वान मध्यस्थ को सूचित करने के लिए कि उत्तरदाता ने पंचाट के हस्ताक्षरित प्रति को प्राप्त नही किया था विद्वान मध्यस्थ से सम्पर्क करने के लिए कोई कदम नही उठाया गया था। मध्यस्थ द्वारा पंचाट जारी करने तथा पक्षधर द्वारा इसे प्राप्त करने के बीच हमेशा अन्तर हो सकता है।

36. इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि विद्वान मध्यस्थ अपने-अपने पक्षकारों के अधिवक्तागण को पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति भेजने के लिए बाध्य नही था। बल्कि विद्वान

मध्यस्थ की बाध्यता पंचाट की दो प्रतियाँ तैयार करने का था, एक दावेदार के लिए तथा दूसरा उत्तरदातागण के लिए एवं पक्षकारों को इसे भेजने का था। राज्य ने गुणावगुण पर ईमेल के जरिए प्राप्त पंचाट को चुनौती दिया था तथा साथ-साथ यह अभिवाक उठाया था कि ईमेल कापी विधि की दृष्टि में पंचाट नही हैं क्योंकि यह हस्ताक्षरित नही हैं तथा स्टाम्प पेपर पर तैयार नहीं है तथा यह भी कहा कि पंचाट को उत्तरदातागण द्वारा प्राप्त नही किया गया था तथा गुणावगुण पर भी। इस प्रकार का आक्षेप लेने के बावजूद कि पंचाट को संसूचित नही किया गया था, उत्तरदाता ने पंचाट को चुनौती देने में विलम्ब के माफी हेतु आवेदन दाखिल किया था तथा विलम्ब को माफ किया गया था। पंचाट को एक बार चुनौती दिये जाने के बाद, उत्तरदाता के कहने पर पंचाट को चुनौती देने में विलम्ब को माफ किये जाने के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि विधि की दृष्टि में पूर्णतया कोई पंचाट नही है।

37. इस प्रकार की परिस्थितियों में, उत्तरदाता द्वारा उठाया गया अभिवाक् कि पंचाट को कभी भी इन्हें संसूचित नही किया गया था असंगत है तथा पंचाट को चुनौती देने में विलम्ब के माफी की मांग करने के बाद गुणावगुण पर पंचाट को चुनौती देने के इनके कार्य के विरूद्ध है। पूर्वोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों में, उत्तरदाता यह तर्क देने के लिए झूठ नहीं बोल सकता है कि विधि की दृष्टि में पंचाट नही है।

38. यदि उत्तरदाता पंचाट पारित करने के बारे में जानने के वाद पंचाट प्राप्त न करने के संबंध में शिकायत करते हुए विद्वान मध्यस्थ के पास गया था, उत्तरदाता को संसूचित न किये जाने हेतु कारण प्रकाश के आया होता तथा विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिये गये पंचाट की प्रति तथा पंचाट का इस प्रकार प्राप्त किया जाना पंचाट को चुनौती देने के लिए समुचित वाद हेतुक होता तथा परिसीमा की गणना तदनुसार की गई होती।

39. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि स्टाम्प पेपर पर पंचाट सम्यक् हस्ताक्षरित तथा तैयार किया गया था जैसा अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय तथा निष्पादन करने वाले न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था तथा एलपीए अभिलेख स्टाम्प पेपर जिसमें पंचाट जैसा अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था के अंतिम पेज पर विद्वान मध्यस्थ का हस्ताक्षर था के सिवाय ईमेल के जरिए उत्तरदाता के अधिवक्ता को संसूचित उपर्युक्त पंचाट है। यह विवादित नही है कि विद्वान मध्यस्थ काफी पहले वर्ष 2019 में मर गया था तथा अब उत्तरदाता कापी प्राप्त करने या पंचाट के संसूचित न किये जाने के कारणों का पता लगाने के लिए विद्वान मध्यस्थ से संपर्क नही कर सकता है।

40. इस न्यायालय ने निष्पादन मामला सं0 1 वर्ष 2018 के अभिलेखों को मंगाया था तथा अभिलेखों के परिशीलन से आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2018 से प्रतीत होता है कि याचिका को निष्पादन करने वाले न्यायालय में मूल अभिलेख जिसे इस स्पष्ट अनुबंध के साथ आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2018 द्वारा अनुज्ञात किया गया था के वापसी हेतु इसमें अनुरोध करते हुए अपीलकर्ता की ओर से निष्पादन करने वाले न्यायालय में दाखिल किया गया था कि मूल पंचाट को न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा जब कभी आवश्यक हो तथा मूल पंचाट को पंचाट के सत्य प्रतिलिपि से बदलने का निदेश दिया गया था। पंचाट की प्रति जैसा अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया है को एल0पी0ए0 सं0 432 वर्ष 2011 के अभिलेख में पाया गया है।

41. यह विवादित नही है कि मूल पंचाट अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया है तथा यह इनके अभिरक्षा में है। इस मतभेद के अलावा कि पंचाट जैसा उत्तरदाता द्वारा प्राप्त किया गया था के ईमेल प्रति में विद्वान मध्यस्थ का हस्ताक्षर नही था तथा यह कि इसे स्टाम्प पेपर पर तैयार नही किया गया था, पंचाट जैसा अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था तथा दूसरा जिसे ईमेल के जरिए उत्तरदाता के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त किया गया था के बीच उत्तरदाता द्वारा इस प्रकार कोई अंतर नही बताया गया है।

42. पूर्वोक्त निष्कर्ष के संचित परिणाम के रूप में, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि पंचाट को इस आधार पर अपास्त नही किया जा सकता था कि पंचाट की ईमेल प्रति जैसा उत्तरदाता के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त किया गया था, अहस्ताक्षरित था।

43. अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन याचिका में विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता का मामला यह भी था कि पंचाट स्टाम्प पेपर पर तैयार नहीं किया गया था तथा तद्नुसार प्रवर्तनीय नही था।

44. ***"अनसूया देवी" (ऊपर)*** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उच्च न्यायालय ने अधिनियम 1996 के धारा 37 के अधीन अपील में अवलोकन किया था कि चूँकि पंचाट स्टांपित तथा पंजीकृत नही था, यह अवैध था तथा अधिकारिता के बिना था। उच्च न्यायालय के आदेश को मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया गया था। मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह धारित करते हुए अपील को अनुज्ञात किया था कि अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन कार्यवाही के प्रक्रम पर इस प्रकार के विवाद्यक की जांच किया जाना आवश्यक नही था तथा वास्तव में इस प्रकार का विवाद्यक इस प्रक्रम पर समय पूर्व था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 34 इसमें परिगणित आधार पर पंचाट अपास्त करने का उपबंध करता है तथा यह विवादित नही था कि पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन किसी अन्य आधार पर नही होगा जो अधिनियम 1996 की धारा 34 में परिगणित है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रश्न कि क्या पंचाट स्टांपित तथा पंजीकृत

होना आवश्यक था, तभी सुसंगत होगा जब पक्षकारगण अधिनियम 1996 की धारा 36 के अधीन इसके प्रवर्तन हेतु पंचाट दाखिल करेंगें।

45. इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि माध्यस्थम पंचाट को केवल उन्हीं आधारों पर अपास्त किया जा सकता है जो माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन परिगणित है। फिर भी, कतिपय आक्षेप है जिसे निष्पादन के प्रक्रम पर उठाया जा सकता है, इनमें एक पंचाट के स्टांपित किये जाने के संबंध में आक्षेप हो सकता है। इस न्यायालय की राय है कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने यह धारित करते हुए अपने अधिकारिता के स्पष्ट उल्लंघन में कार्य किया है कि पंचाट इस आधार पर निष्पादन योग्य नही है कि इसे स्टाम्प पेपर पर तैयार नही किया गया है। विवाद्यक कि क्या पंचाट स्टांपित था या नहीं तथा इस प्रकार की त्रुटि, यदि कोई है, का परिणाम क्या था, का अवधारण अधिनियम 1996 की धारा 36 के अधीन निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय आक्षेपित निर्णय पारित करते समय इसे अधिनियम 1996 की धारा 34 के निर्दिष्ट योग्य आधारों तक सीमित करने के बजाय पंचाट के निष्पाद्यता पर विनिश्चय करते हुए अधिनियम 1996 की धारा 34 के व्याप्ति के परे गया है।

46. तद्नुसार अपील को अनुज्ञात किया जाता है तथा आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। चूँकि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय विद्वान मध्यस्थ द्वारा अनुज्ञात दावों तथा अननुज्ञात प्रति दावा के संबंध में अधिनियम 1996 की धारा 34 के अधीन उठाये गये अन्य आक्षेपों पर विचार नही किया है, हम इसका विनिश्चय करने के लिए मामले को विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के पास भेजते है।

47. अपीलकर्ता मूल पंचाट दाखिल करेगा जैसा विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष विद्वान मध्यस्थ से प्राप्त किया गया है तथा विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय से मात्र अनुमति से इस वापस प्राप्त करेगा। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय शीघ्रता से मामले का विनिश्चय करेगा।

48. लंबित अंर्तवर्ती आवेदन, यदि कोई है को समाप्त किया जाता है।

49. खर्चों के संबंध में कोई आदेश नही होगा।

(श्री चन्द्रशेखर, न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ

(श्री चन्द्रशेखर न्यायमूर्ति)

(अनुभा रावत चौधरी न्यायमूर्ति)

बिनीत/सौरव/मुकुल

ए.एफ.आर.

यह अनुवाद (शिवाकान्त तिवारी) पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।